न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र कुमार,
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 02/1995 आ0व.अ.1955

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र छीतरमल जाति मीना निवासी मोरन्डी थाना बस्सी जिला जयपुर
2. ग्यारसीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बलाई निवासी हरिनारायणपुरा थाना चाकसू जिला जयपुर
3. बद्रीनारायण पुत्र बिरदीचंद जाति ब्राहमण निवासी हरिनारायणपुरा थाना चाकसू जिला जयपुर
4. कमलेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी मानगंज उत्तरी दरवाजा बाहर दौसा

..अप्रार्थीगण

उपस्थितः कोई नहीं।

अभियोग संख्या 337/1994 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली दौसा में जब्तशुदा 50 पीपे सरसों का तेल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा ने दिनांक 23.7.1994 को 50 पीपे सरसों के तेल को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

3. पुलिस विभाग की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना पत्र को ही बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.1994 को उप पुलिस अधीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा एक जीप नंबर आरएनएन 4925 मय 50 पीपे सरसों का तेल भरा हुआ जब्तशुदा मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान गोविंदराम पुत्र छीतर मीना व ग्यारसीलाल पुत्र मांगीलाल बलाई के थाने पर पेश कर रिपोर्ट दी कि उप पुलिस अधीक्षक वृत्त दौसा व दस्ते के साथ थाना दौसा से चुंगी नाका लालसोट रोड पर मुखबिर से सूचना मिली की एक जीप जिसका नंबर आरएनएन 4925 है जिसमें सरसों के तेल के पीपे भर हुए है। जिस पर लालसोट रोड पर चुंगी नाका से आधा किलोमीटर दूर से जीप नंबर आरएनएन 4925 आती मिली जिसे हाथ के इशारे से रूकवाया गया तो उसमें से दो आदमी उतर कर भाग गये जीप में पीछे पर्दा बंधा हुआ था। जीप में दो व्यक्ति मौजूद है जिनमें एक ने अपना नाम गोविंदराम पुत्र छीतर जाति मीना निवासी मोरण्डी थान बस्सी जिला जयपुर बताया व पास में बैठे व्यक्ति ने ग्यारसीलाल पुत्र मांगीलाल बलाई निवासी हरिनारायणपुरा थाना चाकसू जिला जयपुर बताया। भागने वालों के बारे में [illegible] तो एक बद्रीनारायण पुत्र बिरदीचंद शर्मा निवासी हरिनारायणपुरा व दूसरा मानगंज दौसा [illegible] कमलेश पुत्र प्रभूदयाल शर्मा बताया। माल भी बद्रीनारायण शर्मा का [illegible] के अंदर रखे हुए पीपों को चैक किया गया तो कुल 50 पीपे सरसों के तेल से भरे हुए पाये गये। जब्त 50 [illegible] तेल के बारे में लाईसेंस बाबति पूछा गया तो कोई लाइसेन्स नहीं होना बताया गया। जिनका यह कार्य व्यावसायिक वस्तु(अनुज्ञा पत्र तथा नियमत्रण) आदेश 1980 का उल्लंघ किया जाना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

गया है। जिस पर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया। गोविंदराम व ग्यारसीलाल को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनारायण व कमलेश मौके से भाग गये जिनकी अग्रिम जमानत की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है। अतः मुकदमें में जब्तशुदा 50 पीपे सरसों का तेल का निस्तारण फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की रिपोर्ट दिनांक 20.4.2021 का अवलोकन किया गया। जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अभियोग सं0 337/1994 धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में जब्तशुदा 50 पीपे सरसों का तेल व अन्य माल को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 दौसा के सुपुदर्गी आदेश क्रमांकः 51–52 दिनांक 11.1.1996 की पालना में जीप नं0 आरएनएन 4925 व 50 पीपे तेल के भरे हुए रमेशचंद पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर को सुपुर्द कर दिये गये है। अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हम थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 14 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील 30 दिवस के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:44 IST
Reason: SelfAttested